

सहायक शिक्षक (पंचायत) की नियुक्ति हेतु विज्ञापन
कार्यालय जनपद पंचायत बेमेतरा , जिला बेमेतरा (छ.ग.)

विज्ञा.क./1098/ज.पं./स.शि.(पं)/2012-13/

/बेमेतरा दिनांक 09.10.2012

आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि :

31.10.2012 शाम 05.00 बजे तक

छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय रायपुर के पत्र क्र./पंचा.-192/ पंचा.वि.वि/2012/1167 रायपुर दिनांक 21.08.2012 तथा अधिसूचना दिनांक 17-08-2012 में प्रकाशित भर्ती नियम तथा जिला शिक्षा अधिकारी जिला बेमेतरा के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहायक शिक्षक (पंचायत) के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवारों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र अधोहस्ताक्षरकर्ता के पते पर पंजीकृत डाक से दिनांक 31.10.2012 तक आमंत्रित किये जाते हैं। (सीधे आवेदन नहीं लिया जावेगा) विलंब से प्राप्त आवेदन पत्र गान्य नहीं होंगे।

आरक्षण विवरण कुल पद श्रेणीवार :-

क्र.	संकाय /विषय समूह का नाम	(अ) कुल पद श्रेणीवार				(ब) कालम (अ) में दर्शाये गये कुल रिक्त पदों में से महिलाओं के लिए आरक्षित पदों की संख्या				(ब) कालम (अ) में दर्शाये गये कुल रिक्त पदों में से निःशक्त वर्ग के लिए आरक्षित पदों की संख्या				(ब) कालम (अ) में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों की संख्या				(ब) कालम (अ) में मुक्त वर्ग के लिए आरक्षित पदों की संख्या			
		UR	SC	ST	O BC	UR	SC	ST	O BC	UR	SC	ST	O BC	UR	SC	ST	O BC	UR	SC	ST	O BC
1	कला समूह	13	03	03	03	04	01	01	01	00	00	00	01	01	00	00	00	08	02	02	01
2	विज्ञान समूह	28	07	07	08	08	02	02	02	03	01	00	00	03	01	01	01	14	03	04	05
	योग	41	10	10	11	12	03	03	03	03	01	00	01	04	01	01	01	22	05	06	06

टीप:-

1. **UR** = अनारक्षित, **SC**= अनुसूचित जाति, **ST**= अनुसूचित जनजाति, **OBC**= अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर किमीलेयर)
2. पद पूर्ति माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर राज्य/जिला स्तर पर भरे जाने वाले पदों पर आरक्षण निर्धारण से संबंधित लंबित प्रकरणों में पारित किए गये अंतिम आदेश के अध्याधीन होगा।
3. रिक्त पदों की संख्या घट-बढ़ सकती है जिसके लिए जनपद पंचायत का निर्णय अंतिम होगा।
4. उपरोक्त पदों में प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार प्रत्येक श्रेणी के महिला, भूतपूर्व सैनिक एवं निःशक्तों के लिए समस्त आरक्षित रहेगा। महिला एवं भूतपूर्व सैनिक वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उरसी श्रेणी के मुक्त वर्ग के अभ्यर्थियों से चयन किया जायेगा। निःशक्त वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इनके पद अगले भर्ती वर्ष हेतु अग्रणीत किये जाएंगे।
5. आवेदन पत्र के साथ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार 50 रु. तथा अन्य वर्ग के उम्मीदवारों को 100 रु. का बैंक ड्राफ्ट अथवा पोस्टल आर्डर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बेमेतरा के नाम से देय संलग्न करें।
(टीप : पोस्टल आर्डर / बैंक ड्राफ्ट विज्ञापन जारी होने के दिनांक या उसके बाद तथा निर्धारित अंतिम तिथि तक का स्वीकार किया जावेगा।)
6. (टीप : विज्ञापन की विस्तृत जानकारी एवं आवेदन पत्र का प्रारूप जनपद कार्यालय के सूचना पटल एवं www.durg.gov.in पर देखे जा सकते हैं।)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जनपद पंचायत बेमेतरा

खण्ड-अ विभागीय नियम एवं पाठ्यक्रम

(1) वेतन रूपये :- सहायक शिक्षक (पंचायत) लिए वेतनमान 3800-100-5800

(2) सहायक शिक्षक (पंचायत) हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं :-

1. न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो)।

अथवा

न्यूनतम 45 प्रतिशत अंको के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) एवं प्रारंभिक शिक्षाशास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो) जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता, मानदण्ड और क्रियाविधि) विनियम 2002 के अनुसार प्राप्त किया होना चाहिए।

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष)

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) तथा शिक्षाशास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा।

अथवा

प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो)

तथा

(3) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा इस प्रयोजन के लिए जारी किए गये दिशा-निर्देश के अनुसार समुचित सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी.) उत्तीर्ण

टीप:-

1. आरक्षण नीति-आरक्षित श्रेणियों जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्त श्रेणी के संबंधित अभ्यर्थियों को अर्हता अंकों में 5 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।

2. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता में शिथिलता-यदि सहायक शिक्षक (पं.) की नियुक्ति में डीएड/बीएड उपाधिधारी अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो निम्नानुसार शिथिलता प्रदान की जाएगी।

(क) कक्षा पहली से आठवीं तक की कक्षाओं में अध्यापन हेतु नियुक्ति के लिए प्रारंभिक शिक्षा विज्ञान में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे उसे किसी नाम से जाना जाता हो)

(ख) ऐसी शिथिलता के फरस्वरूप नियुक्त सहायक शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के शिक्षकों को उनकी नियुक्ति वर्ष से दो वर्ष के भीतर न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता ग्रहण करनी होगी।

4. अध्यापक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी.) में न्यूनतम प्राप्त अंक:-

(क) उच्चतर माध्यमिक या समकक्ष आवेदकों को कक्षा पहली से पांचवीं में अध्यापन के लिये न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना होगा।

(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/निःशक्त श्रेणी के उच्च माध्यमिक या समकक्ष आवेदकों को न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना होगा।

पात्रता की शर्त:-

1. डी.एड एवं बी.एड के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में नियमानुसार शिथिलता प्रदान की जाएगी।

2. आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए गए समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं पासपोर्ट साइज का फोटो स्वयं के द्वारा अभिप्रमाणित कर पंजीकृत डाक द्वारा दिनांक 05.10.2012 सायं 05.00 बजे तक संबंधित जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के नाम से जमा किया जावेगा।

3. निर्धारित आवेदन पत्र में पूर्ण रूप से भरे हुये आवेदन पत्र के साथ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार 50 रु. तथा अन्य वर्ग के उम्मीदवार को 100 रु. का बैंक ड्राफ्ट अथवा पोस्टल आर्डर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के नाम से देय एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, जिला के नाम से केवल पंजीकृत डाक के माध्यम से निर्धारित दिनांक 05.10.2012 भाग 05.00 बजे तक स्वीकार किए जायेंगे।

(टीप : पोस्टल आर्डर / बैंक ड्राफ्ट विज्ञापन जारी होने के दिनांक या उसके बाद तथा निर्धारित अंतिम तिथि तक का स्वीकार किया जावेगा।)

4. आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।

5. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

6. कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

7. छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले के जिला रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन होना आवश्यक है (कार्यरत शासकीय सेवकों को छूट रहेगी)

(4) आयु सीमा:- दिनांक 01.09.2012 को 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। आयु सीमा में छुट राज्य सरकार की प्रचलित नियमों के अनुसार होगी।

(5) सहायक शिक्षक (पंचायत) की नियुक्ति मेरिट के आधार पर होगी, जिसके लिए 10 वीं प्राप्त अंको के प्रतिशत पर 20 अंक, 12 वीं में प्राप्त अंको के प्रतिशत पर 50 अंक, डी.एड/बी.एड में प्राप्त अंको के प्रतिशत पर 15 तथा टी.ई.टी. में प्राप्त अंको के प्रतिशत पर 15 अंक दी जावेगी।

(6) अन्य पिछड़ा वर्ग में (किमिलियर को छोड़कर ही) आरक्षण हेतु पात्र होंगे।

(7) नि:शक्त के लिये आरक्षित पदों पर नियुक्ति भासन के नियमानुसार दृष्टिबाधित/मुकबधिर /अन्य बाधित पदों पर की जावेगी।

(8) आवेदक संलग्न पोस्टल आर्डर / बैंक ड्राफ्ट के पीछे अपना नाम एवं पूर्ण पता अनिवार्यतः लिखे।

(9) शासन से समय समय पर प्राप्त निर्देश/आदेश मान्य किए जाएंगे।

(10) स्थायी जाति प्रमाण पत्र छानबीन समिति से सत्यापित प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे।

(11) स्थायी जाति प्रमाण पत्र छानबीन समिति से सत्यापित नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति उपरांत अधिकतम दो माह का अतिरिक्त समय दिया जावेगा तदुपरांत सत्यापित प्रति प्रस्तुत नहीं करने पर सेवाएं स्वतः समाप्त मानी जावेगी।

(12) आवेदन केवल कार्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप में ही स्वीकार किया जायेगा। प्रारूप से भिन्न आवेदन प्रथम दृष्टया ही निरस्त कर दिये जायेंगे। आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पता लिखा 05.00 रु. मूल्य का डाक टिकट लगा हुआ दो लिफाफा अनिवार्यतः संलग्न किया जावे।

(टीप : विज्ञापन की विस्तृत जानकारी एवं आवेदन पत्र का प्रारूप जनपद कार्यालय के सूचना

पटल एवं www.durg.gov.in पद पर देखे जा सकते हैं।)

आवेदन पत्र का प्रारूप

सहायक शिक्षक (पंचायत) विषय.....हेतु आवेदन पत्र ।

(कला / विज्ञान / विज्ञान सहायक का स्पष्ट उल्लेख करें)

प्रति ,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत

जिला - बेगतरा

स्वयं द्वारा
अभिप्रेमाणित
फोटोग्राफ

1. अभ्यर्थी का नाम (हिन्दी में) :
- अंग्रेजी के कैंपिटल लेटर में
2. पिता / पति का नाम हिन्दी में :
- अंग्रेजी के कैंपिटल लेटर में :
3. जन्म तिथि शब्दों में
- दिनांक 01.09.2012 की स्थिति में आयु..... वर्ष माह..... दिन
4. क्या आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं ? (हाँ/नहीं)
- (छत्तीसगढ़ मूल निवास प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)
5. वर्ग (अनु. जाति / अनु.जन जाति / अ.पि.वर्ग / सामान्य) उल्लेख करें
- (आरक्षित प्रवर्ग का होने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।)
6. क्या आप निःशक्त हैं ?निःशक्तता का प्रकार
- (अस्थि/श्रवण/दृष्टि/अन्य) एवं प्रतिशत
- (जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी निःशक्तता प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें ।)
7. क्या आप विज्ञापन में दी गई न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता पूर्ण करते हैं
8. शैक्षणिक योग्यता :- (शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्रों की स्व प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)

क्र.	परीक्षा का नाम	परीक्षा सम्भिलित विषय/विषय समूह का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
01	हाई स्कूल						
02	हायर सेकण्डरी						
03	बी.एड/डी.एड. /अन्य (स्पष्ट करें)						
04	टी.ई.टी.						

9. क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं ? (हों/नहीं)
(यदि हों तो प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)

10. जीवित रोजगार पंजीयन क्रमांक नवीनीकरण तिथि
जिला रोजगार कार्यालय का नाम (प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)

11. पत्राचार का पता :-.....
.....
.....

12. स्थायी पता :-.....
.....
.....

13. यदि आप शासकीय / अर्धशासकीय / निगम / मण्डल में सेवारत हैं तो निम्नलिखित विवरण दें :-

कार्यरत पद का नाम	कार्यालय का नाम	कार्यरत अवधि कब से कब तक	नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु प्रस्तुत किये गये आवेदन का दिनांक
	 से (कुल अवधि) माह	

14. वैवाहिक स्थिति (विवाहित / अविवाहित) :
यदि विवाहित है तो विवाह की तिथि :
जीवित बच्चों की संख्या :

क्र.	बच्चों का नाम	लिंग	जन्मतिथि
01			
02			
03			

(सरपंच/ पार्षद द्वारा जारी विवाह एवं जीवित संतान की संख्या संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें ।)

15. संलग्न पोस्टल आर्डर/ बैंक ड्राफ्ट का नम्बर राशि दिनांक
जारीकर्ता बैंक/ पोस्ट आफिस का नाम..... ।

16. सहपत्रों की सूची (स्व सत्यापित प्रमाण पत्रों की सूची विवरण सहित कंडिका " 08" के क्रम में रखें)

1. 2.
3. 4.
5. 6.
7. 8.
9. 10.

17. अभ्यर्थी का घोषणा पत्र :-

मैं घोषणा करता / करती हूँ कि उपरोक्त आवेदन दी गई सम्पूर्ण जानकारी सत्य एवं सही हैं। किसी भी प्रकार की गलती या गलत जानकारी के कारण मुझे किसी भी स्तर पर चयन से वंचित / नियुक्ति समाप्त कर मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी। मैंने यह आवेदन विज्ञापन को पढ़कर एवं समझकर भरा है। विज्ञापन में दिये गये नियमों के अनुसार मुझे सहायक शिक्षक पंचायत विषयके पद हेतु आवेदन करने की पात्रता है, जिसे आवश्यकता होने पर प्रमाणित करने एवं मेरे द्वारा संलग्न प्रमाण पत्रों के मान्यता संबंधित सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत करने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी है।

स्थान

दिनांक

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

नाम

पता.....